न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 60/2023

प्रार्थीनी –

1. गीता पत्नी श्री कालूसिंह, जाति माली, निवासी–रावला बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सुरताराम पुत्र श्री उदाराम,
2. भींयाराम पुत्र श्री उदाराम,
3. हेमाराम पुत्र श्री प्रतापराम,
4. निम्बाराम पुत्र श्री प्रतापराम,
5. प्रेमप्रकाश पुत्र श्री प्रतापराम,
6. भंवरी पुत्री श्री प्रतापराम,
7. कमला पुत्री श्री प्रतापराम,
8. हीरादेवी पत्नी श्री प्रतापराम, सभी जातियान जाट, निवासीगण– जाजीवाल खीचियांन, तहसील व जिला जोधपुर।
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1. प्रार्थी की और से वकील श्री बाबु लाल विश्नोई
2. अप्रार्थी संख्या 1 की और से वकील बाबु लाल गौरा
3. अप्रार्थी संख्या 3 से 8 के विरूद्व जवाब बंद

आदेश

दिनांक : 05/1/24

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एल आर एक्ट का पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीनी के खातेदारी, कब्जे व काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 26/13 रकबा 3 बीघा मौजा जाजीवाल खिचियान के चक नम्बर 1 में आई हुई है। खसरा नम्बर 26/13 मूल रूप से खसरा नम्बर 26/2 रकबा 6 बीघा का एक भाग

हैं। खसरा नम्बर 26/2 की तरमीम पूर्व में ही हो चुकी है। उक्त भूभाग की प्रार्थीनी जरिये नामान्तकरण संख्या 455 दिनांक 07.04.2011 को खातेदार बनी, तब से लेकर निरन्तर रूप से शान्तिपूर्ण तरीके से काबिज रही है। प्रार्थीनी अपने उक्त भूभाग का विकास कर उन्नत किस्म की खेती करना चाही हैं जिसकी सुरक्षा के लिए चार दीवारी बनवाना चाहती हैं। प्रार्थीनी के खेत की पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 24/1 जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी का हैं व दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 191/26 अप्रार्थी संख्या 3 से 8 की खातेदारी का आया हुआ है। प्रार्थीनी दिनांक 15.10.2023 को अपने खातेदारी के खसरा नम्बर 26/13 की सीमाओं पर दीवार बनाने के लिए निर्माण सामग्री लेकर मजदूरों के साथ गई तो उक्त खेत के पूर्वी दिशा के पड़ौसी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीनी के खेत की पूर्वी सीमा जहां वर्तमान में माठ कायम हैं, को चुनौति दी एवं कहा कि उक्त माठ सही स्थान पर नहीं हैं। इसमें रदोबदल किया हुआ हैं। मैं यहां दीवार नहीं बनाने दूंगा तथा प्रार्थीनी के उक्त खेत के दक्षिणी दिशा में स्थित खेत खसरा नम्बर 191/26 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 से 8 ने भी मौके पर आकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कथनों की पुनरावर्ती करते हुए दीवार नहीं बनाने दी, तब उक्त सीमा को लेकर सीमा का विवाद हुआ। सीमा विवाद होने पर उसके निपटारे के लिए प्रार्थीनी ने तहसीलदार जोधपुर को सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर किसी प्रकार की काई कार्यवाही नहीं की गई। उक्त प्रार्थना पत्र को बिना किसी कार्यवाही के दाखिल दफ्तर कर दिया एवं हिदायत दे दी कि आपका उक्त मुद्दा सीमा ज्ञान का नहीं है, आप सक्षम न्यायालय से पत्थगढ़ी का आदेश करवा लो। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा हैं। मौके पर नाप किया जावे तो प्रार्थीनी के कब्जे में केवल 03 बीघा भूमि हैं उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण उक्त खसरे की माठ को सीमा के तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं जबकि स्वयं अप्रार्थी शुरू से लेकर आज दिन तक वर्तमान की माठ को सीमा मानते हुए शुरू से लेकर आज दिन तक काबिज व काश्त हैं। प्रार्थीनी किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहती हैं इसलिए अपने खातेदारी के खेत की सीमाओं का ज्ञान करवाकर अपनी सीमाओं तक पत्थरगढ़ी करवाकर अपने खातेदारी की भूमि का विकास करना चाहती हैं। इसलिए न्यायहित में पत्थरगढ़ी की जानी न्यायोचित व लाजमी हैं। वाद कारण दिनांक 15.10.2023 को बमुकाम जाजीवाल खीचियान चक नम्बर 1 में उस वक्त पैदा हुआ जब प्रार्थीनी के खेत की माठ को सही होने से इन्कार कर सीमा विवाद पैदा कर दिया, तब पैदा हुआ जो आज भी निरन्तर जारी हैं।विवादग्रस्त भूमि मौजा जाजीवाल खीचियान चक नम्बर 1 में आई हुई है जिसके बाबत तमाम प्रकार के राजस्व प्रकरणों का श्रवण कर निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त हैं। प्रार्थीनी स्वीकार कर प्रार्थीनी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 26/13 व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 24/1 एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 8 के खातेदारी के खसरा नम्बर 191/26 की मध्य माठों पर पत्थगढ़ी कर करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे। प्रार्थीनी को

उपखण्ड अधिकारी (जिला) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (जिला) जोधपुर

अप्रार्थी से दिलाया जावे एवं अन्य अनुतोष जो प्रार्थीनी न्यायालय हाजा की राय में प्राप्त करने के अधिकारी हो वो भी फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये । अप्राथी स.1 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के कई अवसर दिये गये। इनकी और से जवाब प्रस्तुत नही किया गया। इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 से 8 के विरूद्व की गयी एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त किये जाने का पेश किया । प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी का जवाब बंद किया गया। तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो इस प्रकार है कि खसरा नं. 26/13, 24/1 व 191/26 ग्राम जाजीवाल खिचियान की मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट हेतु मय हल्का पटवारी के रूबरू मौतवीरान मौके पर पहुंचा। खसरा नं. 26/13, 24/1 व 191/26 के मौके की वस्तुस्थिति अनुसार खसरा नं. 26/13 राजस्व अभिलेख अनुसार श्रीमती मोती चौधरी पत्नी महेन्द्र चौधरी जाति पटेल, गीता पटेल पत्नी दिलीप सिंह चौधरी पुत्री सुखाराम पटेल जाति पटेल निवासी नारनाड़ी के नाम दर्ज है। खसरा मौके पर खाली एवं पड़त पाया गया। किसी प्रकार का पक्का निर्माण भवन आदि नहीं पाया गया। खसरे की मेड़ पर पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में पत्थर की पक्की दीवार बनाई पायी गई। खसरे की पूर्वी मेड़ पर तार से फेसिंग की हुई है। तथा उत्तरी मेड़ मौके पर मौजूद नहीं है तथा 13/2 खसरा एक ही खातेदार का होने से मौके पर एक चक बना रखा है। खसरा नं. 24/1 राजस्व अभिलेख अनुसार सुरताराम, भींयाराम पुत्र श्री उदाराम जाति जाट निवासी जाजीवाल खिचियान के नाम दर्ज है। खसरा मौके पर खाली एवं पड़त पाया गया जिसमें खातेदारों के परिवार चार पक्के मकान एवं पशुबाड़े व चारा भण्डार बनाकर मौके पर परिवार सहित कृषि भूमि में निवासरत पाए गए। खसरा नं. 24/1 को मौके पर बीच में एक कच्ची मेड़ बनाकर दो भागों में विभक्त कर रखा है। खसरा 24/1 को मौके पर चारों तरफ से मेड़ पर तार की फेन्सिंग कर रखी है। पश्चिम दिशा में मेड़ पर खसरा नं. 26/12 के लगती मेड़ पर पत्थर की पक्की दीवार बना रखी है इसी दिशा में कुछ स्थानों पर तार खुले पाए गए। खसरा 24/1 में आवागमन हेतु खसरा नं. 22 की मेड़ पर रास्ता मौजूद है। खसरा नं. 191/26 राजस्व अभिलेख अनुसार हेमाराम, नीम्बाराम, प्रेमप्रकाश पुत्र प्रतापराम, भंवरी, कमला पुत्रीयां प्रतापराम हीरी देवी पत्नी प्रतापराम जाति पटेल निवासी लोरड़ी पण्डित जी के नाम दर्ज है। खसरा मौके पर खाली एवं पड़त पाया गया। किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं पाया गया। खसरे की मेड़ पर पश्चिम दिशा में तार की फेन्सिंग की हुई है तथा पूर्व एवं दक्षिण दिशा में कांटों की कच्ची बाड़ की हुई है। जबकि उत्तर दिशा में पत्थर पक्की दीवार बनी हुई पाई गई।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्र उभय पक्ष विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा की गयी बहस एवं बहस के दौरान दिये तर्कों का

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

अध्ययन कर विचार किया गया। विवादग्रस्त खेत प्रार्थीनी के खातेदारी का खेत है उक्त खेत खसरा नम्बर रकबा 26/13 व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 24/1 एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 8 खातेदारी खेत खसरा नम्बर 191/26 के मध्य माठों को लेकर आपस में विवाद है। उक्त विवाद बिना पत्थगढ़ी के हल नहीं किया जा सकता है। पत्थगढ़ी से किसी पक्ष से कोई हानि होने की संभावना नहीं है, पत्थरगढ़ी होने से सभी पक्षकारों के खेतों की सीमा की जानकारी हो जायेगी तथा भविष्य में किसी प्रकार का सीमा को लेकर विवाद नहीं होगा।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 26/13 व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 24/1 एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 8 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 24/1 एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 8 के खातेदारी के खसरा नम्बर 191/26 की मध्य माठों पर पत्थर सीमांकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार जोधपुर मौके पर जाकर सभी खातेदारों की भूमि का रकबे के अनुसार नाप चौक कर सही सीमा पर पत्थगढ़ी की जाकर पालना से अवगत करावें साथ में नजरी नक्शा कोर्ट में पेश करे।

(पंकज कुमार)आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर),
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 05/1/24 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(पंकज कुमार)आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर),
जोधपुर